

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग  
\*\*\*\*

लोक उद्यम भवन,  
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003  
दिनांक: 08 अप्रैल, 2022


कार्यालय जापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2017 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान संबंधी।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक कार्यालय जापन के पैरा 7 तथा अनुबंध-III (ख) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें दी गई हैं। सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर वर्ष 2017 के वेतनमानों के लिए दिनांक 01.04.2022 से 30.0% है।

2. महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात् 30.0% औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017 के कार्यालय जापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की स्वीकृति दी गई है।
3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


  
(समसुल हक)  
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय जापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

  
(समसुल हक)  
अवर सचिव